

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2019/

दिनांक-17.07.2019

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा

टोंक/बांसवाडा


विषय:- विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 668,670,675, दिनांक 05.07.2019,08.07.2019 एवं 84 दिनांक 01.07.2019

निम्नांकित अध्यापिकाओं/अध्यापकाओं/प्रबोधक को उनके नाम के सामने अंकितानुसार विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स	नाम कर्मचारी मय पद सर्व श्री....	प्रथम नियुक्ति तिथि	विदेश का नाम	अवधि
1	श्रीमती नगमा परवीन अध्यापिका राप्रावि झालरा तालाब मालपुरा टोंक	01.07.2004	सऊदी अरब, मक्का मदीना	23.07.19 से 04.09.19
2	श्री मोहम्मद जफर प्रबोधक राउप्रावि केरिया मलिकपुर मालपुरा टोंक	03.10.2008	सऊदी अरब, मक्का मदीना	23.07.19 से 04.09.19
3	श्री मरगूब अहमद प्रबोधक राप्रावि बूढी ढाणी किरावल मालपुरा टोंक	20.05.2009	सऊदी अरब, मक्का मदीना	23.07.19 से 04.09.19
4	श्रीमती उपमा जैन अध्यापिका राबाउप्रावि नई आबादी बांसवाडा	31.07.1993	टोक्यो जापान	18.07.2019 से 27.07.2019


1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
  2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  3. विदेश में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
  4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं ना ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
  6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
  7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
  8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्नों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
  9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
  10. विदेश यात्रा अवधि में शाला में अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।
- उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

  
उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
2. संबंधित श्री/श्रीमती.....
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर